PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Bhaskar, Delhi
Sun, 19 Feb 2017, Page 1
Width: 16.31 cms, Height: 14.77 cms, a4, Ref: 44.2017-02-19.20

स्टेंट व्यापारियों से एनपीपीए ने 1 मार्च तक रेट लिस्ट मांगी

जानकारी नहीं देने पर शुरू की जाएगी जरूरी कार्रवाई

नई दिल्ली | राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक (एनपीपीए) ने कोरोनरी स्टेंट के निर्माताओं और आयातकों से एक मार्च तक अपने उत्पाद की कीमत सहित उसके बारे में ब्योरा जमा कराने को कहा है। कोरोनरी स्टेंट के उत्पादन, आयात का तिमाही ब्योरा भी मांगा गया है। नियामक ने कहा कि उत्पादक इंटीग्रेटेड फॉर्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीडीएमएस) के जरिये ऑनलाइन अपने उत्पाद की कीमत भेजें और इसकी कॉपी सभी राज्य औषधि नियामकों और वितरकों, थोक और फुटकर विक्रेताओं को भी दें। मांगी गई जानकारी न देने पर जरूरी कार्रवाई शुरू की जाएगी। एनपीपीए ने दिल के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 13 फरवरी को स्टेंट के अधिकतम मूल्य तय कर दिए थे।

शेष | पेज 9 व संबंधित पेज 2 पर